न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 41/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/64

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॅाटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर, 302109
पंजीकृत कार्यालय – 4 फ्लोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोन्डेंट्स:–

1. श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री चन्द्रवीर सिंह चौहान, पता – वार्ड नं. 2 राजपुतो का मोहल्ला, दलजी का गढा, जिला बॉसवाडा राजस्थान (ऋणी)
2. श्रीमती चन्दा कंवर पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, पता – वार्ड नं. 2 राजपुतो का मोहल्ला, दलजी का गढा, जिला बॉसवाडा राजस्थान (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 16.11.2022

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय जयपुर, पंजीकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री चन्द्रवीर सिंह चौहान, पता – वार्ड नं. 2 राजपुतो का मोहल्ला, दलजी का गढा, जिला बॉसवाडा राजस्थान (ऋणी) 2– श्रीमती चन्दा कंवर पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, पता – वार्ड नं. 2 राजपुतो का मोहल्ला, दलजी का गढा, जिला बॉसवाडा राजस्थान (सहऋणी) को दिनांक 25–02–2020 को 1745000/– (अक्षरे सत्रह लाख पेतालिस हजार मात्र) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 08–02–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 13–04–2022 तक कुल बकाया ऋण राशि 1922387 रू. (उन्नीस लाख बाईस हजार तीन सौ सत्यासी रुपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। गिरवीकृत अचल सम्पत्ति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री चन्द्रवीर सिंह चौहान के आराजी सर्वे सं. 1300/280, ग्राम दलजी का गढा, वीपीओ ग्राम पंचायत–आसन, पंचायत समिति गढी, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा जिसका कुल क्षे[illegible] वर्गफीट है को बतौर प्रतिभूति हित से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

साम्पिक बन्धक किया है, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी **ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, 4 फलोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू** को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाईसेंस सं. एमयूएम : 119 दिनांक 30.06.2016 द्वारा भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लायसेंस प्रदान किया है। जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में बैंक/वितिय संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **दिनांक 20-04-2022** को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक **25-02-2020** को **1745000/- (अक्षरे सत्रह लाख पेतालिस हजार मात्र)** ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर **दिनांक 08-02-2022 को एन.पी.ए.** के रुप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 25.08.2022 को जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस दिनांक 16.09.2022 को बाद तामिल प्रस्तुत हुआ किन्तु अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 16.09.2022, 23.09.2022, को अनुपस्थित रहे। दिनांक 23.09.2022 को वकिल प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के सन्दर्भ में संशोधित शिर्षक प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 2 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस दिनांक 13.10.2022 को बाद तामिल प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 दिनांक 13.10.2022, 04.11.2022 व आज दिनांक 16.11.2022 को अनुपस्थित है।

दिनांक 16.11.2022 को बार बार रुक रुक कर ऋणी/अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। ऋणी/अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय बहसी सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन कि[illegible] सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के [illegible] योग्य है एवं वित्तीय संस्था को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner